मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2019 (श्रावण 2, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्र, श्री अजय विश्नोई, सदस्यगण द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.11 बजे 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.17 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 142 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 155 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 20 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार –

(1) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य की परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों के मार्गों पर पुल निर्माण कराए जाने,

(2) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य की सतना जिले के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर के फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों के संचालन हेतु जगह आरक्षित की जाने,

(3) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, सदस्य की जिला छतरपुर नगर में माता बम्बर बैनी प्राचीन सिद्धधाम को पवित्र नगर घोषित कर विकास किये जाने,

(4) डॉ. योगेश पंडाग्रे, सदस्य की प्रदेश में भूगर्भीय जल स्त्रोत बढ़ाने हेतु तालाबों का निर्माण किये जाने,

(5) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य की रीवा शहर में छोटे छोटे व्यावसायियों को शिल्पी प्लाजा में व्यवसाय हेतु स्थान दिये जाने,

(6) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन में लिंक रोड बनाये जाने,

(7) श्री सुरेश धाकड़, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम छर्च में वेयर हाउस निर्माण में अनियमितता की जाने,

(8) श्री आरिफ मसूद, सदस्य की भोपाल शहर में विद्युत कम्पनी द्वारा ट्रांसफारमर्स एवं डी.पी. बॉक्स लगाने में भ्रष्टाचार किये जाने,

(9) श्री बापू सिंह तंवर, सदस्य की राजगढ़ क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होने,
(10) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन हेतु फिंगरप्रिंट मेल न होने से पेंशन न मिलने,
(11) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य की प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्य अपूर्ण होने,
(12) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र महिदपुर में किसानों के नामांतरण आदि के प्रकरण राजस्व न्यायालय में लंबित होने,
(13) श्री संजय यादव, सदस्य की बरगी विधान सभा क्षेत्र के जमुनिया में संचालित स्टोन क्रेशर्स से प्रदूषण फैलने,
(14) श्री अर्जुन सिंह, सदस्य की नरेला विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में आवारा कुत्तों का आतंक होने,
(15) श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य की इछावर क्षेत्र के माऊखेड़ी जोड़ धमंधा मार्ग की हालत जर्जर होने,
(16) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की हटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत स्नेह हटा को जल प्रदाय योजना से जोडने,
(17) श्री तरबर सिंह, सदस्य की शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के वितरण का कार्य ठेकेदारों को दिये जाने,
(18) डॉ. अशोक मर्सकोले, सदस्य की भोपाल के साउथ टी.टी. नगर स्थित जैन मंदिर क्षेत्र में स्मार्ट सिटी योजना के ठेकेदार द्वारा पौधे-रोपण के नाम पर बड़े-बड़े गड्ढे खोदे जाने,
(19) श्री पांचीलाल मेढ़ा, सदस्य की राष्ट्रीय राजमार्ग (मुम्बई-आगरा) गणपति घाट पर तकनीकी कारणों से अनेक सड़क दुर्घटनाएं होने तथा
(20) श्री कमल पटेल, सदस्य की हरदा जिले के कई कोटवारों को विगत 8 माहों से वेतन न मिलने.

संबंधी सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

4. बधाई

विश्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर एथलीट सुश्री हेमा दास को सदन द्वारा बधाई

अध्यक्ष महोदय ने विशेष उल्लेख किया कि भारत की 19 वर्षीय एथलीट हेमा दास ने जिन्होंने मात्र 18 दिनों में पाँच स्वर्ण पदक जीत कर देश का मान-सम्मान और गौरव बढ़ाया है. इस नई "उड़न परी" ने विदेशों में विभिन्न विश्व प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर युवा वर्ग को विशेष कर महिलाओं को खेल क्षेत्र में नई पहचान, नई संभावनाएँ और नई ऊर्जा का सन्देश दिया है. अधयक्ष महोदय द्वारा उनकी इस उपलब्धि के लिए सदन की ओर से बधाई दी.

श्रीमती नीना विक्रम वर्मा एवं श्री संजय यादव, सदस्यगण ने भी उल्लेख किया कि इस उपलब्धि हेतु प्रदेश सरकार को उन्हें कुछ सम्मान निधि देनी चाहिए. माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए कुछ सम्मान निधि की अभी घोषणा करें तो बेहतर होगा. श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सुश्री हेमा दास ने अपने देश को गौरवान्वित किया, इसलिए उन्हें सम्मान निधि देने पर अवश्य विचार किया जायेगा.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) नाबालिग छात्र के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट की जाना

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि बीना में एक नाबालिग छात्र के साथ अमानवीय कृत्य करते हुए पुलिस द्वारा दर्दनाक पिटाई की गई, उस छात्र को इलाज हेतु सागर रेफर किया गया. माननीय मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री यहा बैठे हुए हैं. वे इस पर कार्यवाही करें.

(2) ध्यानाकर्षण सूचना को चर्चा में लिये जाने विषयक

श्री विजयपाल सिंह, श्री सुनील सराफ, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि उनकी ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को विषय की गंभीरता को देखते हुए आसंदी से लेने का आग्रह किया.

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में 52 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 6 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) सर्वश्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, कुणाल चौधरी, विनय सक्सेना, शिवराज सिंह चौहान, सदस्यगण एवं श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने राज्य शासन द्वारा निजी विमान एवं हेलीकाप्टर किराये से लिये जाने में अनियमितता की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री एवं श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया.

इसी ध्यानाकर्षण पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से हुए व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.37 बजे कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.45 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति “एन.पी.”) पीठासीन हुए.

सदन में पक्ष-विपक्ष के कुछ सदस्यों में सरकार के बहुमत संबंधी आरोप-प्रत्यारोप होने से कार्यवाही में पुन: व्यवधान होने पर अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को समझाईश दी कि “सभी सदस्य विद्वान और बुद्धिमान है. अत: सभी सदस्यों को नियमों का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग देना चाहिए. मैं इस परिपाटी को लाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं किसी माननीय सदस्य को पुकारूँ तो दूसरे सदस्य को नहीं उठना चाहिए. हम उन पुरानी परम्पराओं का पालन करें कि जब सदन के नेता या नेता प्रतिपक्ष या मैं खड़ा हूं तो सबको भाव-भंगिमा पर ध्यान देना चाहिए और बीच में कतई खड़े नहीं होना चाहिए”.

7. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) सर्वश्री अजय विश्नोई, कमल पटेल एवं शैलेन्द्र जैन, सदस्यगण ने प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत खाद्यान्न पर्ची जारी न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन को निर्देशित किया गया कि नई दिल्ली जाकर भारत शासन से मध्यप्रदेश के लिए खाद्यान्न आवंटन का कोटा बढ़ाने हेतु मंत्री महोदय एवं नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ सदस्यों द्वारा गरीबों के हित में पक्ष रख कर समाधानकारक निर्णय लिया जाए.

इसी ध्यानाकर्षण पर अन्य सदस्यों द्वारा एक साथ बात रखने से हुए व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा 1.25 बजे कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 1.28 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति “एन.पी.”) पीठासीन हुए.

8. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची के पदक्रम 4 "याचिकाओं की प्रस्तुति" तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

9. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(3) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक पदों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य पदों पर की गई भर्ती की जांच न किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अनुपूरक चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने ध्यानाकर्षण के प्रस्तुतकर्ता सदस्य विभागीय मंत्री को समाधान करके बैठक आयोजित कर उपयुक्त निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शन दिया.

(4) सर्वश्री चेतन्य कुमार काश्यप, संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, सदस्यगण ने रतलाम एवं कटनी सहित प्रदेश में वैध कालोनियों को अवैध घोषित किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(5) सर्वश्री प्रताप ग्रेवाल, मुन्नालाल गोयल, सदस्यगण ने व्यापम घोटाले की जांच को निष्पक्ष न करने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(6) सर्वश्री रामखेलावन पटेल, शरदेन्दु तिवारी, सदस्यगण ने सतना जिले के न्यूरामनगर के प्रभारी सी.एम.ओ. द्वारा अनियमितता व मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (7) से (52) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए -

(7) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य की सागर जिले की बीना नदी परियोजना का कार्य बंद किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री कमल पटेल, सदस्य की प्रदेश की नदियों से अवैध उत्खनन एवं ओवर लोड़ परिवहन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषित एसिड खेतों एवं नदी में छोड़े जाने संबंधी सूचना तथा पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य की अटेर क्षेत्र के अनेक थानों में निर्दोष लोगों पर प्रकरण दर्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की देवास जिले में ओलावृष्टि से नष्ट फसलों की बीमा राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(12) श्री कमल पटेल, सदस्य की प्रदेश के महाविद्यालयों में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग के छात्रों को प्रवेश न मिलने संबंधी सूचना तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री मनोहर ऊंटवाल, सदस्य की प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान व्यवस्था से सेल्समैंनो को हो रही परेशानी संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की मुख्यमंत्री अधोसंरचना संबंधी विकास कार्य न होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(15) श्री राजेश कुमार प्रजापति, सदस्य की सतना जिले के ग्राम चंदकुआ के ईंट भट्टा व्यवसायियों का भुगतान न होने की ओर गृह मंत्री का वक्तव्य.

(16) सर्वश्री आशीष गोविन्द शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, उमाकांत शर्मा, सदस्यगण की प्रदेश में सिंथेटिक दूध एवं रसायनयुक्त सब्जियों की बिक्री किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(17) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य की चिकित्सा सेवाओं में व्याप्त अव्यवस्था का सुधार न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(18) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की सागर नगर के रिंगरोड पथरिया से मोतीनगर तिराहे तक सड़क निर्माण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(19) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, गिरीश गौतम, विश्वास सारंग, सदस्यगण की सीधी जिले में खनिज का अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य.

(20) श्री राहुल सिंह लोधी, सदस्य की प्रदेश की सोसाईटियों से वितरित खाद्यान्न नियमित प्रदाय न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(21) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य की भोपाल में अवैध हुक्का लाउंज संचालित होने की ओर गृह मंत्री का वक्तव्य.

(22) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के अमायन थाना प्रभारी द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर गृह मंत्री का वक्तव्य.

(23) श्री विनय सक्सेना, सदस्य की जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भवन निर्माण की राशि का अनियमित उपयोग किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(24) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में बांध निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न मिलने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(25) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य की सतना जिले के मुकुन्दपुर चिड़िया घर एवं वन्यप्राणी सह उपचार केन्द्र के निर्माण में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का वक्तव्य.

(26) श्री भारत सिंह कुशवाहा, सदस्य की ग्वालियर नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत वाटर हार्वेस्टिंग कार्य में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे

(27) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खंडवा जिले के सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख से फसलें नष्ट होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(28) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले में नकली खाद की बिक्री होने की ओर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(29) सर्वश्री बीरेन्द्र रघुवंशी, सुरेश धाकड़, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्यगण की शिवपुरी में मादक पदार्थों की बिक्री किये जाने की ओर गृह मंत्री का वक्तव्य.

(30) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र जैन, सदस्य की सागर में महिला विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(31) श्री हरदीपसिंह डंग, सदस्य की सुवासरा बस स्टैण्ड सहित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(32) श्री हरदीपसिंह डंग, सदस्य की सुवासरा क्षेत्र में सौर ऊर्जा कंपनियों द्वारा कृषकों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(33) इन्जी. प्रदीप लारिया, श्री पारस चन्द्र जैन, सदस्यगण की प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमित न किये जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(34) सर्वश्री रामपाल सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सदस्यगण की प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(35) श्री संजय यादव, सदस्य की बरगी क्षेत्र के अनेक ग्रामों को पेयजल योजना में शामिल न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(36) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की शुजालपुर स्थित शारदा उत्कृष्ट विद्यालय द्वारा पूर्व से प्रवेशित छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश न दिये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(37) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में खरीदी गई उड़द एवं मूंगफली का भुगतान न होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(38) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले में बलराम तालाब योजना के कार्य में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(39) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर स्थित प्रज्ञा सीड्स कम्पनी द्वारा घटिया बीज का विक्रय किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(40) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य की मुरैना जिले में कृषकों को फसल ऋण माफी योजना का लाभ न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(41) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले में छात्रों के गणवेश वितरण में अनियमितता होने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(42) श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य की रीवा के ग्राम बरा में निर्माणाधीन आई. टी. पार्क का लाभ बेरोजगारों को न मिलने की ओर मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(43) श्री संजीव सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने की ओर गृह मंत्री का वक्तव्य.

(44) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र के विधायक को जान से मारने की धमकी दिये जाने की ओर गृह मंत्री का वक्तव्य.

(45) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की शाजापुर जिले में घरेलू उपभोक्ताओं को अनाप शनाप विद्युत बिल दिये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(46) श्री महेन्द्र हार्डिया, सदस्य की इंदौर स्थित हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित शापिंग काम्पलेक्स को खतरनाक घोषित किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(47) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य की शिवपुरी जल आवर्धन योजना से पेयजल हेतु पानी न मिलने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(48) सर्वश्री विशाल जगदीश पटेल, महेन्द्र हार्डिया, डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्यगण की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलपति की नियुक्ति न होने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(49) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की भोपाल एवं जबलपुर जिला अस्पताल में रैबीज के इन्जेक्शन उपलब्ध न होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(50) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य की केवलारी क्षेत्र में फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(51) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना में कृषि महाविद्यालय न खोले जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(52) श्री उमाकांत शर्मा, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्यगण की नीमच जिले के कनावटी जेल से कैदी फरार होने की ओर जेल मंत्री का वक्तव्य.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(4) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(5) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(6) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(7) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(8) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर शहर)
(9) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(10) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(11) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(12) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(13) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे (जिला-बालाघाट)
(14) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर नगर)
(15) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-टीकमगढ़)
(16) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(17) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(18) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(19) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(20) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
(21) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(22) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(23) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(24) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)

(25) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(26) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(27) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(28) श्री जजपाल सिंह 'जज्जी' (जिला-अशोकनगर)
(29) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(30) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(31) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(32) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
(33) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(34) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)
(35) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)
(36) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(37) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया (जिला-भिण्ड)
(38) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(39) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी (जिला-शिवपुरी)
(40) श्री रामखेलावन पटेल (जिला-आगर)
(41) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
(42) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-अशोकनगर)
(43) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय (जिला-सीहोर)
(44) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(45) श्री महेश परमार (जिला-उज्जैन)
(46) श्री रामेश्वर शर्मा (जिला-भोपाल)
(47) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(48) श्री राम दांगोरे (जिला-खण्डवा)
(49) श्री कमल पटेल (जिला-हरदा)
(50) श्री कमलेश जाटव (जिला-मुरैना)
(51) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(52) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
(53) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(54) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(55) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(56) श्री बापू सिंह तंवर (जिला-राजगढ़)

(अपराह्न 2.28 से 3.36 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

11. अध्यक्षीय घोषणा

(1) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन घोषित होना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल के लिये राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन उम्मीदवार शेष हैं, चूंकि प्रबंध मण्डल के लिए केवल तीन सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं अत: मैं निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

(1) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया
(2) श्री मुन्नालाल गोयल
(3) श्री रणवीर सिंह

(2) मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के वेतन/भत्तों/पेंशन आदि के पुनरीक्षण एवं अनुषांगिक विषयों का परीक्षण कर अनुशंसाएं करने के लिये समिति का गठन किया जाना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के वेतन/भत्तों/पेंशन आदि के पुनरीक्षण एवं अनुषांगिक विषयों का परीक्षण कर अनुशंसाएं करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

(1)	सुश्री हिना लिखीराम कावरे	उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा
(2)	श्री तरुण भनोत	वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
(3)	डॉ. गोविन्द सिंह	संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
(4)	श्री जगदीश देवड़ा	सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
(5)	श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
(6)	श्रीमती झूमा सोलंकी	सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
(7)	श्री विक्रम सिंह राणा	सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
(8)	श्री राजेश कुमार शुक्ला	सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा
(9)	श्री संजीव सिंह	सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा

सुश्री हिना लिखीराम कावरे, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति की सभापति तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा समिति के पदेन सचिव होंगे.

12. औचित्य का प्रश्न एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 प्रवर समिति को न सौंपा जाना

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार के समय माननीय सदस्यों की मांग पर इसकी महापरिषद् के गठन के प्रावधान में संशोधन के परिप्रेक्ष्य में विचार हेतु प्रवर समिति गठित करने की घोषणा की गई थी, परन्तु विधेयक के भारसाधक मंत्री द्वारा माननीय सदस्यों की मांग के संदर्भ में विश्वविद्यालय की महापरिषद् में विधान सभा सदस्य को शामिल करने संबंधी संशोधन प्रस्तुत करने के साथ इस विधेयक की अविलंबनीयता की दृष्टि से इसे संशोधन सहित विचार में लिये जाने का अनुरोध किया गया. अत: इस परिप्रेक्ष्य में अब प्रवर समिति गठित करने का औचित्य नहीं रह जाने से मेरे द्वारा विधेयक पर विचार तथा अग्रेतर कार्यवाही किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री विश्वास सारंग एवं गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि आसंदी ने कल प्रवर समिति गठित कर दी थी और आज एक संशोधन का बहाना लेकर प्रवर समिति को निरस्त कर देना उचित नहीं है और नियमों के विपरीत है. चर्चा का पुनर्ग्रहण तब होता है जब चर्चा जारी होती है और दूसरे विधेयक भी आ गये थे. कल एक अच्छा और स्वस्थ उदाहरण देखने को मिला था. लेकिन आज अच्छी परम्परा को खत्म करने की कोशिश हो रही है. भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि मैं आप लोगों की भावना की हमेशा कद्र करता हूँ. उसी के तहत मैंने ये निर्णय लिया था, तदुपरांत जिस विषय पर हमने प्रश्न-चिह्न लगाया था उसका उत्तर आ गया, उसको समावेश कर लिया गया है. कल जिस बात की मैंने घोषणा सम्वेत सदस्यों के सामने की थी, तो उन्हीं सदस्यों के सामने मैं पुनर्ग्रहण करने की बात कर रहा हूँ. इसलिए इसको अनुमति दें. कार्यवाही के अवलोकन में मैंने पाया कि इस संबंध में जो विधिवत "संशोधन प्रस्ताव" नियमावली के नियम 67 (2) (क) और 68 (क) के तहत, मय प्रवर समिति के सदस्यों नाम सहित आना चाहिए था. वो नहीं आया. इस प्रकार वो प्रक्रिया पूर्ण न हो पाने से संशोधन प्रस्ताव पारित करना नियमानुकूल न होगा. अत: मैं अपनी व्यवस्था को संशोधित करते हुए भारसाधक मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे विधेयक पर चर्चा और उसके पारण की प्रक्रिया प्रारंभ करें और माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुसार जो संशोधन वे विधेयक में करना चाहें, उसके लिए अग्रसर हों.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि नेता प्रतिपक्ष ने जो कल मुद्दा उठाया था और आसंदी ने भी निर्देशित किया था, चूंकि अब उसे विधेयक मे शामिल कर लिया है इसलिए प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) दिनांक 23 जुलाई, 2019 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण किया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 के उपखण्ड - 7 के विद्यमान खण्ड - 29 के पश्चात् निम्नानुसार खण्ड - 30 स्थापित किया जाए अर्थात् 30 मध्यप्रदेश विधान सभा का एक सदस्य जो विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा.

संशोधन स्वीकृत हुआ.

यथासंशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(15) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौ-भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र
(3) श्री इन्दर सिंह परमार
(4) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(5) श्री कुणाल चौधरी
(6) श्री तरबर सिंह

श्री लाखन सिंह यादव ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 32 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौ-भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(16) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री भूपेन्द सिंह
(2) श्री शिवराज सिंह चौहान
(3) श्री विजय रेवनाथ चौरे
(4) श्री रामेश्वर शर्मा

14. अध्यक्षीय घोषणा

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 को प्रवर समिति को सौंपा जाना

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री ने उक्त विधेयक पर विचार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों की मांग के संबंध में हस्तक्षेप करते हुए प्रस्ताव किया कि गौशाला की हमारी नीति है, हमने अपनी भावनाओं से बनाई है, राजनीतिक दृष्टि से नहीं बनाई, लेकिन माननीय सदस्यों की बात सुनने के पश्चात् आसंदी से इस बिल को प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध है.

श्री शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया है.

सदन की भावना के अनुरूप अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि शासन के प्रस्ताव अनुसार विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है. समिति के गठन की घोषणा शीघ्र की जायेगी. विधेयक जब नये तरीके से तैयार हो जाये तो शंकराचार्य जी एवं अन्य धर्मगुरु को भी जरूर दिखाया जाये, ताकि एक अच्छा विधेयक बनकर इस सदन में आये और एक मील का पत्थर गौवंश के लिये साबित हो.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(17) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल
(2) श्री संजीव सिंह

श्री पी.सी. शर्मा ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 17 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) पारित किया जाए.

श्री संजीव सिंह, सदस्य द्वारा मत विभाजन की मांग की गई. आसंदी द्वारा पुन: प्रस्ताव रखने और उक्त विधेयक पर माननीय सदस्य द्वारा मांग की जाने पर विधेयक पर मत विभाजन की प्रक्रिया यह होगी कि जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों वो मेरे दाहिनी ओर की लॉबी में और जो प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे मेरी बांयी ओर की लॉबी में जाकर मतदान करेंगे. (मतविभाजन सम्पन्न)

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि मतदान एवं गणना की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात् प्रस्ताव के पक्ष में 122 मत एवं प्रस्ताव के विपक्ष में शून्य मत प्राप्त हुए. अत:

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : प्रस्ताव

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "विधान सभा के वर्तमान जुलाई, 2019 सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत 'सदन की कार्यवाही का समापन किया जाये एवं तदुपरांत बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

18. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 5.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 24 जुलाई, 2019